



Neutral Citation No. - 2026:AHC:161133

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 26843 / 2026

पिंकी निषाद

..... आवेदिका

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदिका के अधिवक्ता : धर्मेंद्र कुमार शुक्ला, विजय प्रताप सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता श्री विजय प्रताप सिंह, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राकेश कुमार मिश्रा को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2. वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 257 सन् 2026, धारा 80(2), 85 भारतीय न्याय संहिता तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4, थाना सहजनवां, जनपद गोरखपुर में पंजीकृत मामले में, विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदिका को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदिका मृतका की अविवाहित ननद है। मृतका ने घरेलू मामलों को लेकर हुए एक मामूली विवाद के पश्चात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आवेदिका को केवल मृतका की अविवाहित ननद होने के कारण झूठा फंसाया गया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



है, जबकि उसके विरुद्ध ऐसा कोई पर्याप्त साक्ष्य अथवा सामग्री नहीं है जिससे यह प्रदर्शित हो कि मृत्यु से पूर्व दहेज की मांग पूरी न होने के कारण उसने मृतका को प्रताड़ित किया था। आवेदिका को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सामान्य एवं अस्पष्ट आरोप लगाकर झूठा फंसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि विवाह के सात वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु होने की स्थिति में दहेज मृत्यु की विधिक उपधारणा लागू करने के लिए यह दर्शाने हेतु पर्याप्त सामग्री होना आवश्यक है कि मृत्यु से ठीक पहले मृतका को क्रूरता अथवा उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था, किंतु वर्तमान मामले में ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है।

4. अंततः यह प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस द्वारा आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है, अतः अब आवेदिका से अभिरक्षा में पूछताछ किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदिका का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा एक महिला होने के कारण वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 480 के दृष्टिगत जमानत पर रिहा किए जाने की अधिकारी है। आवेदिका कानून का पालन करने वाली नागरिक है तथा वह दिनांक 24.05.2026 से जेल में निरुद्ध है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी तथा विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगी।

5. इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया, किंतु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

6. मामले के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदिका एक **महिला** है, और अपराध की प्रकृति, उपलब्ध साक्ष्य तथा अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए तथा जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों की भारी लंबितता को देखते हुए, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **कपिल वाधवान बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन सर्वोच्च न्यायालय 3038** में दिए गए निर्णय के आदेश तथा इस न्यायालय द्वारा **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन इलाहाबाद 6765** में जमानत प्रदान किए जाने के संबंध में निर्धारित दिशानिर्देश को ध्यान में रखते हुए, तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इस मत का हूँ कि अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदिका जमानत पर रिहा किए जाने की अधिकारी है। तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

7. आवेदिका **पिंकी निषाद**, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदिका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगी, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए तथा न ही साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगी।

(ii) आवेदिका विचारण/जांच में ईमानदारीपूर्वक सहयोग करेगी तथा किसी स्थगन की मांग नहीं करेगी।

(iii) जमानत पर रिहा होने के पश्चात आवेदिका किसी आपराधिक गतिविधि अथवा किसी अपराध के कारित करने में संलिप्त नहीं होगी।

(iv) आवेदिका उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय में उपस्थित होगी।

8. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में वह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

9. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदिका तथा जमानतदारों की पहचान, स्थिति तथा निवास संबंधी प्रमाण-पत्रों का सत्यापन किया जाएगा।

10. आवेदिका तथा जमानतदारों के मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड का सत्यापन भी संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदिका को इस आदेश की कंप्यूटर से तैयार प्रति, जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया गया हो तथा संबंधित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



अधिवक्ता द्वारा सत्यापित किया गया हो, के आधार पर रिहा किया जाएगा। इसके साथ यह वचन देना होगा कि आदेश की प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

12. यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदिका की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बी.ओ.एम.एस.) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।

13. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति आवेदिका को जेल अधीक्षक, गोरखपुर के माध्यम से ई-मेल अथवा ई-प्रिजन पोर्टल पर तथा विचारण न्यायालय को ई-माध्यम से 24 घंटे के भीतर भेजी जाए। यह निर्देश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान करने की नीति एवं रणनीति, पुनः मामला: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (दाण्डिक) संख्या 4 सन् 2021, दिनांक 31.01.2023 को निर्णीत, जिसकी रिपोर्ट (2024) 10 एस.सी.सी. 685 में की गई है, तथा पीला पाहन @ पीला पाहन एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, दाण्डिक रिट याचिका संख्या 169 सन् 2025, दिनांक 29.05.2026 को निर्णीत, में दिए गए आदेशों के अनुपालन में जारी किया गया है।

14. यदि कोई आवेदन लंबित हो तो उसका भी निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

दिनांक : 03 अगस्त, 2026

एसए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।